



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 24 फरवरी, 2006

फाल्गुन 5, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

भाग अनुभाग-3

संख्या 401/36-3-06-7(न्यूनपै०)-04

लखनऊ, 24 फरवरी, 2006

प० आ०-95

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, परिशिष्ट 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं का अधिकरण करके एवम् सरकारी अधिसूचना संख्या 198/36-3-99-8 (एम०डब्ल्यू०)/89 दिनांक 04 फरवरी, 2000 संख्या 3604/36-3-99-3 (एम०डब्ल्यू०)/97, दिनांक 25 अक्टूबर, 1999 संख्या 200/36-3-2000-3(एम०डब्ल्यू०)/83, दिनांक 03 फरवरी, 2000 संख्या 4106/36-3-99-65(एम०डब्ल्यू०)/84, दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 संख्या 605/36-3-2000-13(एम०डब्ल्यू०)/91 टीसी, दिनांक 06 मार्च, 2000, संख्या 3704/36-3-99-3(एम०डब्ल्यू०)/99 दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 एवं अधिसूचना संख्या 419/36-3-2000-1044(एम०डब्ल्यू०)/75 टीसी, दिनांक 22 मार्च, 2000 के साथ प्रकाशित प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों एवम् सुझावों पर उत्तर प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकींक (1982=100) के जुलाई 2004 से दिसम्बर 2004 के औसत 522 अंकों पर न्यूनतम मूल मजदूरी दर निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं:-

परिशिष्ट-1 के क्रमांक-1 से 59 तक के नियोजन में निर्गोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर निम्नवत् होगी:-

श्रेणी	श्रेणी	कर्मचारियों को देय न्यूनतम मजदूरी की दर
1	2	3
1.	अकुशल	2600.00 रु० प्रतिमाह
2.	अर्धकुशल	2964.00 रु० प्रतिमाह
3.	कुशल	3280.00 रु० प्रतिमाह

परिशिष्ट-1 के क्रमांक-59 पर अंकित (ईट-भट्टा उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए) न्यूनतम मजदूरी दरें निम्नवत् होंगी :-

क्रमांक	श्रेणी	कर्मचारियों को देय न्यूनतम मजदूरी की दरें
1.	अकुशल	रुपया 2600.00 प्रतिमाह
2.	कुशल	रुपया 3290.00 प्रतिमाह
3.	निकासीवाला	रुपया 76.25 प्रति हजार ईट
4.	पथेरा (1) (2)	रुपया 204.60 प्रति हजार ईट (कमीशन सम्मिलित करके) रुपया 218.90 प्रति हजार ईट (बिना कमीशन के)
5.	भराई वाला	रुपया 76.25 प्रति हजार ईट
6.	चुनाई वाला	रुपया 13.75 प्रति हजार ईट

टिप्पणी- उपर्युक्त कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट-2 में दर्शित है।

2- परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता :

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 522 औसत अंकों के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई को शत-प्रतिशत निष्प्रभावी करते हुए प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में क्रमशः पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवम् प्रश्नगत वर्ष के जनवरी से जून माह के औसत सूचकांक के आधार पर परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

दृष्टान्त :

जनवरी 2005 से जून 2005 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) के कल्पित औसत अंक 525 पर अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-

$$\frac{(525 - 522)}{522} \times 2600 = \text{रु० 14.94}$$

- 3- मजदूरी की दैनिक दर न्यूनतम मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4- घण्टेवार दर दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है तो उसे अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घण्टेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठें भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और उनका भुगतान उसी प्रकार किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निर्धारित किया गया है।
- 7- यदि कोई कार्य मात्रानुपाती दर पर किया/कराया जा रहा है तो ऐसे कार्य के लिए प्रत्याभूत दर निर्धारित कालानुपाती दर होगी।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 की धारा-13 की उपधारा(1) के खण्ड(ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित हैं।
- 9- यदि कोई नियोजक ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम-1970 के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करके या उसके बिना ठेका श्रमिक के माध्यम से नियोजन के किसी कार्य को कराता है तो ऐसा श्रमिक संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का एक्ट-1947 (संयुक्त प्रान्त एक्ट संख्या 28 सन्

1947) की धारा-2 के खण्ड(झ) के उपखण्ड(चार) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-9 की दृष्टि से नियोजक द्वारा सीधे रखा गया श्रमिक समझा जायेगा और वह उन्हीं दरों पर मजदूरी और जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा जो इस अधिसूचना के पैरा-1 और पैरा-2 के अधीन अनुमन्य करायी गयी है।

- 10— किशोरों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दरें किसी वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट-1

क्रमांक	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या व दिनांक
1-	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग में नियोजन	3636/36-3-8 (एम0डब्लू0)/89 दिनांक 31 अक्टूबर, 1996
2-	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग में नियोजन	तदैव
3-	मिष्ठान उद्योग में नियोजन	तदैव
4-	वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन	तदैव
5-	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव
6-	परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योग में नियोजन	तदैव
7-	पेट्रोल और डीजल ऑयल पम्प में नियोजन	तदैव
8-	डेरी और मिल्क डेरी में नियोजन	तदैव
9-	सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव
10-	बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	तदैव
11-	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव
12-	प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों में नियोजन	तदैव
13-	किसी ढलाई घर में नियोजन	तदैव
14-	किसी धातु उद्योग में नियोजन	तदैव
15-	टिन प्लेट शीपिंग और टिन प्रिंटिंग में नियोजन	तदैव
16-	ऐसे अभियन्त्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।	तदैव
17-	चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला में नियोजन	1870/36-3-12 (एम0डब्लू0)/94 दिनांक 13 जून, 1996
18-	चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग में नियोजन	तदैव
19-	होजरी संकर्म में नियोजन	1057/36-3-1 (एम0डब्लू0)/92 दिनांक 04 जुलाई, 1994
20-	निजी पुस्तकालयों में नियोजन	2524/36-3-20 (एम0डब्लू0)/92 दिनांक 24 नवम्बर, 1994
21-	काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग में नियोजन	858/36-3-8 (एम0डब्लू0)/92 दिनांक 04 जुलाई, 1994
22-	(क) मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा संचालित किसी मदरसा, जहाँ विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जा रही है या नाममात्र की फीस ली जा रही है। (ख) किसी धार्मिक या पूर्त संस्था द्वारा संचालित किसी प्राइवेट विद्यालय, जहाँ विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जा रही है या नाममात्र की फीस ली जा रही है। (ग) उ0प्र0 बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बाल वाडियों और (घ) मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट विद्यालय, जिसे सरकार से सहायता मिल रही है, से भिन्न प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, में नियोजन।	4814/36-3-21 (एम0डब्लू0)/83 दिनांक 31 जनवरी, 1991
23-	तम्बाकू विनिर्माण में नियोजन	859/36-3-5 (एम0डब्लू0)/83 दिनांक 04 जुलाई, 1994
24-	धर्मशालाओं में नियोजन	3542/36-3-6 (एम0डब्लू0)/93 दिनांक 30 दिसम्बर, 1994
25-	वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है, में नियोजन	875/36-3-3 (एम0डब्लू0)/93 दिनांक 22 मई, 1995
26-	दुकानों में नियोजन	214/36-3-6 (एम0डब्लू0)/90 दिनांक 18 जनवरी, 1992
27-	वाणिज्य अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव
28-	चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	3596/36-3-2 (एम0डब्लू0)/85 दिनांक 30 नवम्बर, 1991
29-	तेल मिल में नियोजन	तदैव
30-	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	3595/36-3-4 (एम0डब्लू0)/90 दिनांक 28 नवम्बर, 1991
31-	यांत्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन	तदैव
32-	आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला में नियोजन	तदैव
33-	सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन	3815/36-3-10 (एम0डब्लू0)/90 दिनांक 30 अक्टूबर, 1991
34-	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन	तदैव
35-	चिकन के कार्य में नियोजन	तदैव
36-	दियासलाई उद्योग में नियोजन	तदैव
37-	आइसकैंडी/आइस्क्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव
38-	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव
39-	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव
40-	एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव
41-	लाण्डी और धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव

42-	जिल्दसाजी में नियोजन	तदैव
43-	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन	तदैव
44-	पाटरी सिरेमिक्स या रिफ्रैक्ट्रीज में नियोजन	तदैव
45-	निजी मुद्रणालयों में नियोजन	4482/36-3-1019 (एम0डब्लू0)/80 दिनांक 31 जनवरी, 1992
46-	सिनेमा उद्योगों में नियोजन	216/36-3-6 (एम0डब्लू0)/90 दिनांक 20 जनवरी, 1992
47-	कपड़ा छपाई में नियोजन	3814/36-3-10 (एम0डब्लू0)/90 दिनांक 30 अक्टूबर, 1991
48-	सिलाई उद्योग में नियोजन	3600/36-3-1077 (एम0डब्लू0)/77 दिनांक 19 नवम्बर, 1991
49-	एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसियों में नियोजन	215/36-3-6 (एम0डब्लू0)/90 दिनांक 20 जनवरी, 1992
50-	क्लबों में नियोजन	3816/36-3-10 (एम0डब्लू0)/90 दिनांक 30 अक्टूबर, 1991
51-	उत्तर प्रदेश में हथकरघा (सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी कार्य में नियोजन	2593/36-3-1001 (एम0डब्लू0)/78 दिनांक 02 अप्रैल, 1990
52-	उत्तर प्रदेश में कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण में नियोजन।	1331/36-3-3 (एम0डब्लू0)/83 दिनांक 27 जुलाई, 1990
53-	उत्तर प्रदेश में ऊनी कंबल बनाने के अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव
54-	उत्तर प्रदेश में खाण्डसारी में नियोजन	तदैव
55-	उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग में नियोजन	2987/36-3-65(एम0डब्लू0)/84 दिनांक 08 नवम्बर, 1995
56-	उत्तर प्रदेश में शक्ति चालित करघा उद्योग में नियोजन	तदैव
57-	उत्तर प्रदेश में छोटा (मिनिएचर) बल्ब एवम् काँच उत्पादों के निर्माण (चश्मों के शीशे एवम् काँच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) में नियोजन	4472/36-3-313(एम0डब्लू0)/91 दिनांक 04 फरवरी, 1992
58-	उत्तर प्रदेश में कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग में नियोजन	726/36-1-623(एस0टी0)/81 दिनांक 12 मार्च, 1992
59-	उत्तर प्रदेश में ईट भट्ठा उद्योगों में नियोजन	1334/36-3-1044(एम0डब्लू0)/75 दिनांक 08 अगस्त, 1990

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 1 से 16 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :-

चपरासी, चौकीदार, पैकर, स्वीपर, मजदूर, अर्दली, लोडर, अनलोडर, हेल्पर, वाटरमैन, पल्लेदार, चारावाला, दाई, आया, वार्डब्याय और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए ।

अर्द्धकुशल :-

मिक्सरमैन, मोल्डर, सहायक मशीन आपरेटर, कटर, जुड़ाई वाला, तौलकार, सहायक कारीगर(मिठाई), सीलर, लेबिलर, बाटल जूस फिलर, फायरमैन सहायक मशीन मैन, सहायक लोहार, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक फिटर, सहायक पर्यवेक्षक, सहायक निरीक्षक, असिस्टेण्ट डोर असेम्बलर एण्ड फिनिशर्स, डिलीवरी मैन, पम्प अटेन्डेण्ट, फार्म मैन, टेस्टर, मिल्क मैन, मिल्क डिलीवरी मैन, प्रेसमैन, बटन लगाने वाला, काज बनाने वाला, तुरपाई वाला, नपाई वाला, बेलदार, मेट, ट्रेसर, माली, इंजन ड्राइवर, सहायक आपरेटर, जुगाडिया, सहायक मशीन आपरेटर, सहायक मैकेनिक मोल्डर, चिरैया, सहायक कम्पाउण्डर, पट्टी बांधने वाला, प्लास्टर मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए ।

कुशल :-

आपरेटर, सुपरवाइजर, ड्राइवर, मिस्री, कारीगर, मशीनमैन, फिलर, मिक्सर, चैक फिटर, प्रेस आपरेटर, टर्नर, ब्वायलर अटेन्डेण्ट, सहायक क्वालिटी इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रीशियन, सहायक फोरमैन, कटर, डिजाइनर, दर्जी, जनरेटर आपरेटर, लोहार, बढई, इंस्पेक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स, लैब टैक्नीशियन, एक्सरे टैक्नीशियन, विनियर मैचर, वेल्डर, डोर एसेम्बलर एण्ड फिनिशर्स, हेड सुपरवाइजर, हेड इंचार्ज, केमिस्ट, फोरमैन, क्वालिटी इंस्पेक्टर, डेरी इंचार्ज, हेड डिजाइनर, फार्मेशिस्ट, क्लर्क, टाइपिस्ट, मुनीम, तकादगीर, विक्रयकर्ता, स्टोर कीपर, लेखाकार कैशियर, आशुलिपिक, लेखा लिपिक, क्यकर्ता, सहायक टेलीफोन आपरेटर, बिलकटर, हेड एकाउंटेण्ट, हेड मुनीम, हेड क्लर्क, हेड कैशियर, प्रधान विक्रयकर्ता, टेलीफोन आपरेटर, प्रधान क्यकर्ता और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए ।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 17 खम् 18 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

रा-हैण्डलर्स, पिट्स पैडिलर्स और ड्रम कर्मकार, स्कडर्स, पाइलर्स, कुली, सफाईकार, चौकीदार, चपरासी, स्प्रै प्लेटिंग, स्टेकिंग आदि जैसे स्वचालित मशीनों पर कार्य करने वाले कर्मकार, बोर्डिंग एबम् टोगलिंग कर्मकार, वैक्यूम ड्रापर कर्मकार, हैल्पर(ब्वायलर इलेक्ट्रिकल्स, फिटर, बढईगिरी), सभी प्रकार के मशीनों के हेल्पर, पैकर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल :

मशीनों के आपरेटर(अनहेरिंग, प्लेशिंग, स्कोर्डिंग, सेटिंग, समीइंग, बफिंग, जा-स्टकिंग, सेविंग, ग्लेजिंग, एम्बासिंग/ब्लोटिंग प्रेस, पण्डुलम/रोलिंग, ठेकिया), हैण्डप्लेशर, हैण्डस्कोरर, हैण्डसेटर, हैण्डट्रिमर, मिस्री और पर्यवेक्षक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल :

स्प्लिटिंग मशीन आपरेटर, फिटर, विद्युतकार, लाइसेंस प्राप्त ब्वायलर अटेन्डेण्ट, टर्नर, बढई, मुनीम, लेखाकार, रोकडिया, टंकक, लिपिक, विक्रेता, उगाही, तगादगीर, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकडिया, ज्येष्ठ विक्रेता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, विक्रय प्रतिनिधि और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 19 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

पैकर, हैल्पर, चपरासी, चौकीदार, मेहतर(स्वच्छकार), लेबिलमैन, पानी वाला, माली और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल :

निटर, प्रेसमैन, कटर, वाइण्डर, वाशिंगमैन, बटन फाशनर, मेण्डर, गारमेण्ट चेकर, ब्लीचर, सहायक मशीनमैन, सहायक आपरेटर, नेटकटर, आयलमैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल :

मास्टर, हैड मैकेनिक, सुपरवाइजर, फिटर, मशीनमैन, आपरेटर, मिरगी, दर्जी, मेण्डर मास्टर, डिजाइनर, आटोमशीन साक-निटर, सीनियर इक्जामिनर, डायर्स, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, लिपिक, टंकक, टेलीफोन आपरेटर, स्टोर कीपर, रोकड़िया, प्रधान लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक, प्रधान रोकड़िया, प्रधान स्टोर कीपर, प्रधान मुनीम, ज्येष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 20 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

चपरासी, माली, चौकीदार, बुक लिफ्टर, स्वच्छकार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल :

जेनितर, दफ्तरी और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल :

पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सीनियर कैटलागर, जूनियर कैटलागर, मैगजीन सहायक, एक्सेशन क्लर्क, कार्यालय अधीक्षक, पुस्तकालय सहायक, आदान-प्रदान सहायक, पुस्तक प्रभारी, लिपिक, टंकक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 21 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

माल ढोने वाला, पैकर, हैल्पर, चौकीदार, स्वच्छकार, मजदूर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल :

नक्काशा(कार्बर), छिलाई करने वाले(इन्गुवर), कटाई करने वाले(कटर), भराई कर्मकार(इनले), बढई, ड्रायर, फ्रन्टमैन, पालिशगर(काष्ठ नक्काशी के कार्य में), सहायक कटर, सहायक आयलमैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल :

बढई, मिरगी, पालिशगर(फर्नीचर बनाने के कार्य में), पैटर्न मेकर, आरा मिरगी, मशीनमैन(और ऐसे अन्य कुशल कर्मकार जिन्हें पाँच वर्ष से अधिक का कार्य का अनुभव हो और जो नक्काशी करने, छिलाई करने आदि का अनुभव रखते हों तथा कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हों), ज्येष्ठ लिपिक, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखालिपिक, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, ज्येष्ठ प्रधान मुंशी, ज्येष्ठ प्रेसमैन, प्रधान लिपिक, मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया, लेखालिपिक, टंकक, लिपिक, मुंशी, सेल्समैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 22 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

चपरासी, चौकीदार, रिक्शाचालक, माली, क्लीनर, बेलदार, मसालची, आया, बेयरा, केयर टेकर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल :

दफ्तरी, राजगीर(मैसन), रसोइया और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल :

बस/ट्रक ड्राइवर, बढई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लैब असिस्टेंट, टेलर, नर्स, कम्पाउण्डर, लिपिक/टंकक, लाइब्रेरियन/कैशियर, कनिष्ठ लेखाकार, ज्येष्ठ लेखाकार, प्रधान लिपिक, हैड कैशियर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 23 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

पैकर, स्टैम्पर, मार्कर, लोडर, अनलोडर, चपरासी, चौकीदार, मजदूर, स्वीपर, रिक्शाचालक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल :

तौलनेवाला, तम्बाकू मिलानेवाला, तम्बाकू छाननेवाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल :

सुपरवाइजर, ड्राइवर(भारी गाड़ी), प्रधान मुनीम, प्रधान लिपिक, प्रधान रोकड़िया, प्रधान स्टोर कीपर, ज्येष्ठ लिपिक, लेखाकार, प्रधान बिक्रीकर्ता, आशुलिपिक, लिपिक, मुनीम, लेखाकार, टंकक, ज्येष्ठ स्टोर कीपर, बिक्रीकर्ता और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 24 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

चपरासी, चौकीदार, रुम ब्वाय, हैल्पर, माली, कहार, जमादार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल :

लेबर इंचार्ज, इलेक्ट्रीशियन, रसोइया और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल :

एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, लिपिक, टंकक, सहायक प्रबन्धक, सुपरवाइजर, प्रधान लिपिक, कार्यालय सहायक, प्रबन्धक, उप प्रबन्धक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट-1 के क्रमांक 25 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

छटाई व गिराना, चिराई, छाल उतारना, बल्लियाँ बनाना, रलेश मेकिंग, कन्धा ढुलान(मुख्य गिरान), लादना(चिरी इमारती लकड़ी), उतारना(गोल व चिरी इमारती लकड़ी), बागान(जिसमें नर्सरी और वानिकी भी सम्मिलित है), लीसा छेदन में अकुशल कार्य, सड़क एवम् भवन निर्माण में अकुशल कार्य, औषधि जड़ी-बुटियों का संग्रह, बांस काटना, इमारती लकड़ी का रख-रखाव और चट्टा बनाना, जलौनी लकड़ी का रख-रखाव और चट्टा बनाना, साल के बीज संग्रह, तेंदू पत्तों का संग्रह और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल :

चिरान, कन्धा दुलान(छितरा गिरान), लाग रलाइड, नाली बहान, खड्ड बहान, नदी बहान, लादना(गोल इमारती लकड़ी), लीसा छेदन में कुशल कार्य, सड़क एवम् भवन निर्माण में कुशल कार्य, जंगल चिरान(फील्ट सायंग) और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कोई कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 26 से 27 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

पल्लेदार पैकर, बण्डलर्स, लोडर्स, अनलोडर्स, चपरासी, मजदूर, चौकीदार, सफाई मजदूर, और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए ।

अर्द्धकुशल :

गोडाउन कीपर, वेमैन, मिस्त्री, साइकिल मरम्मत करने वाला, सोने और चांदी के जेवरों की छिलाई करने वाला, चांदी पकाने वाला, रेजदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए ।

कुशल :

ड्राइवर, मशीनमैन, बढई, फिटर, वेल्डर, पेन्टर, इलेक्ट्रिशियन, सोने व चांदी के जेवरों पर नक्काशी करने वाला, सुपरवाइजर, केमिस्ट, मैकेनिक, आपरेटर, मुनीम, लेखाकर, रोकड़िया, टंकक, लिपिक, बिक्रीकर्ता, उगाही, तकादगीर, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकर, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ बिक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, बिक्री प्रतिनिधि और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए ।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 28 स्वम् 29 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

पैकर, कुली, स्टोरब्याय, मजदूर, माली, प्रहरी, चौकीदार, द्वारपाल, चपरासी, सन्देशवाहक, स्टोरमैन, हेल्पर, वारदाना मैन, कोलमैन, घानीमैन, कामदार, / सफाईकार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल :

धोबी, गुपिंगमैन, लाईनमैन, तगादगीर, प्रहरी प्रभारी, और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल :

मिस्त्री, रोलरमैन, सिल्कमैन, प्यूरीफायरमैन, आयलमैन, एंगिलमैन, फिटर, टिनकार, बढई, टर्नर, ड्राइवर, विद्युतकार, विद्युत मिस्त्री, मार्कमैन, पेस्टमैन, मशीनमैन, आपरेटर, तौलक(वेमन), सुपरवाइजर, ब्यायलर अटेण्डेन्ट, वेल्डर, पेन्टर, कोल्हूकटर, कोल्हू खरादी, पम्प अटेण्डेन्ट, मुख्य लेखाकर, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ बिक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, बिक्री प्रतिनिधि, मुनीम, लेखाकर, कनिष्ठ लिपिक, डब्लू0आर0 क्लर्क, डिलीवरी क्लर्क बिक्रीकर्ता, टाइमकीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 30 से 32 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

अर्दली, चपरासी, भिस्ती, पानीवाला, चौकीदार, मजदूर, स्वच्छकार, सफाईकार, हज्जाम, मोची, चेम्बरसेवक, कोषागार, चपरासी, स्टोर मजदूर, लदानवाला, गाड़ी की धुलाई करने वाला, कुली, आफिस ब्याय, पेट्रोल पम्प अटेण्डेन्ट और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल :

ग्राइन्डर, बोरिंगमैन, सहायक पेन्टर, रेडियेटर, रिपेयरर, वेल्डर, लोहार, सहायक फिटर, सहायक मैकेनिक, कन्डेक्टर, दफ्तरी, जमादार, बण्डल उठाने वाला, दफादार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल :

सर्विसमैन, वर्कशाप सुपरवाइजर, मैकेनिक, ड्राइवर, टर्नर, पयूज इन्जेक्शन, पंचमैन, पेन्टर, फिटर, लेथमैन, एयर कण्डीशनर मैकेनिक, मिस्त्री, गेटसार्जेन्ट, इलेक्ट्रिशियन, टिनकार, कम्पाउडर, पर्यवेक्षक सहायक स्टोरकीपर, बढई, बल्कनीकार, सोफासाज, यातायात अधीक्षक, स्टेशन अधीक्षक, प्रबन्धक, वर्क्स इंचार्ज, ओवरसीयर, फोरमैन, हेडक्लर्क आशुलिपिक, ज्येष्ठ लेखाकर, नक्शानवीश, गोडाउनकीपर, हेड रोकड़िया, स्टोरअधीक्षक, लेखाकार, सहायक लेखाकार,

लिपिक एवं टंकक, मेलाभैन, लेखा लिपिक, बाह्य अभिकरण लिपिक, रोकड़िया, सहायक गोडाउनकीपर, अधीक्षक प्राप्ति और प्रेषण, स्टोरकीपर, प्रगति जांचकर्ता, केन्द्रप्रभारी(स्टेशन इंचार्ज/मास्टर), यातायात निरीक्षक, प्रधान समयपाल और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी चाहें उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

पट्टिशिष्ट- 1 के क्रमांक 33 से 44 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

फायरमैन(साधारण भट्टी), स्लिप हाऊसवर्कर, फिटर (प्रसिंग और लगिंग को सम्मिलित करते हुये), ग्लेजर (डिपिंग क्रिया द्वारा) टैग, भट्टे व अन्य सामान के लोडर और अनलोडर, चौकीदार, चपरासी, स्लीपर/ स्क्रैपर, हेलपर, मजदूर, जैली और डाई प्रेस वर्कर्स, सार्टर, स्टाम्प मार्कर, प्लन्जर, शील अटेंडेंट, ऐजीटेटर, मिक्सर, सिलेण्डर मजदूर, पल्वी राइजर, अटेंडेंट, पम्प अटेंडेंट, गोल्ड मेकर, ट्रक क्लीनर, ट्राली लोडर / अनलोडर, वाटर मैन, ब्रिक प्रेस अटेंडेंट (हाथ द्वारा), ड्रायर अटेंडेंट, ब्लोअर अटेंडेंट, स्टोन वेयर पाइप ब्रेकिंग एण्ड क्रसिंग अटेंडेंट, ब्रिक टाइल्स प्रेस अटेंडेंट, स्टोर वेयर पाइप प्रेस अटेंडेंट, स्टोर वेयर पाइप अटेंडेंट, मेट, ट्रेनी, फिनिसर और कास्टर, कन्वेयर, गेट मैन, हैंडिल मैन, पैकर, कुली, वाच मैन, कैश प्यून, सार्टर, काउण्टर ब्वाय और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी चाहें उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्धकुशल :

प्रेस मैन, धोबी, मशीन मैन, दर्जी, सहायक सुपरवाइजर, सहायक मिस्त्री, पाटर, कास्टिंग प्रोसेस पर, थो करके बर्तन बनाने वाले, कास्टर और फिनिसर, फायर मैन (टनल फर्नेस) हैड फायर मैन (साधारण भट्टी) कलर स्प्रेयर (इसमें स्प्रे द्वारा ग्लेजिंग भी सम्मिलित है) सहायक खरादी, समर मैन, जार मैन, जिगर मैन, ज्वाइनर, ऑयल मैन, सगर मेकर, सहायक डाई फिटर, सहायक राजगीर, सहायक बढ़ई, वायर मैन, कास्टर लेसर, पॉलिशर, ग्राइण्डर, ब्लॉक मेकर, सिलेण्डर अटेंडेंट, हैमर मैन, सहायक पेन्टर, बिस्कुट पैकिंग करने वाला पैकर, सहायक विद्युत कार, किलन मैन, चेकर, पाइप कटर, ऑयलर, सहायक फोरमैन, विद्युत कार का सहायक, आर्डर सप्लायर, बुक बाइण्डर, बाइण्डर, कटर, स्टीचर, दफ्तरी, करीगर, दहइया, कलर मेकर, सीविंग मैन, हैमिंग मैन, कलैण्डर मैन, माल दिखाने वाला, सहायक मशीन आपरेटर, सहायक मशीन मैन, तौल करने वाला, दूध चीनी आदि मशीन में डालने वाला, मेकर, रोलर ड्राइवर, मिक्सर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी चाहें उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल :

पाटर (जो 4-5 लीटर से अधिमत क्षमता के बर्तन बनाते हैं), डाई फिटर, टर्नर(लेथमैन), मोल्डर, डाई मेकर, कारपेन्टर, आर्टिस्ट, डिजाइनर, मेशन, मोटर जनरेटर ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, पेपर मैन, पेन्टर, चाक वाला कुम्हार, फिटर, ब्लैक स्मिथ, बेल्टर, मोटर बाइण्डर, आटोमोबाइल्स ड्राइवर, शोपर मैन, सुपरवाइजर, हेड मिस्त्री, स्टोर इंचार्ज, हेड ब्वायलर मैन, डिजाइन मेकर, ब्लाक मेकर, केमिस्ट, सिल्क प्रिंटर, अभियन्ता, मुख्य आपरेटर, फोरमैन, रफूगर, सर्वेयर प्लंबर, फ्रिजर, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार एवं प्रधान लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, आशुलिपिक, प्रधान बिक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक स्टीवर्ड, प्रधान स्टोर कीपर, मुनीम, लेखाकार, लिपिक, कैशियन, बिक्रीकर्ता, तगादगीर, डिलीवरी क्लर्क, टाइमकीपर, टंकक, स्टोर कीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

पट्टिशिष्ट- 1 के क्रमांक 45 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

चपरासी, सफाई मजदूर, चौकीदार, मजदूर, पैकर, पेपर लिफ्टर, मशीन मैन का अकुशल सहायक ओर इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्धकुशल :

सहायक संगसाज, सहायक मशीन मैन, पेपर मैन, कच्चा बाइण्डर, इंक मैन, डिस्ट्रिब्यूटर, ग्राइण्डिंग मैन, पेपर कटर, ग्रेनर, कापी होल्डर, पेपर फीडर, सहायक कम्पोजीटर, करेक्टर, चेकर/इक्जॉमिनर, दफ्तरी और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल :

मशीन मैन, प्रेस मैन, पक्का बाइण्डर, कंपोजीटर, डाईमेकर/कटर/प्रिंटर, ब्लाक मेकर, प्रूफ मैन, बढ़ई, स्टीचर, प्लेट प्रिंटर, प्रूफरीडर, विद्युतकार, लोहार, संगसाज, कास्टर-लाइनो/मोनो (बह कंपोजीटर जो हिन्दी और उर्दू दोनों में कंपोज करने की प्रवीणता रखता हो, 25 रु0 प्रतिमाह क विशेष भत्ते का हकदार होगा जो उसकी मूल मजदूरी का भाग होगा), मशीन मैन (जो प्रत्येक स्वचालित सिलेण्डर मशीन चला सकता हो और 2,3 एवं 4 प्रकार के रंग से काम कर सकता हो), कंपोजीटर (जिसको हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू टंकण का पर्याप्त ज्ञान हो और जो बैलेंस शीट, केशमेमों, निमंत्रण-पत्र इत्यादि का काम कर सकता हो), ब्लाक मेकर (जो हाफटोन ओर चार रंग के ब्लाक बना सकता हो), डिजाइनर आर्टिस्ट, कैमरा मैन/आपरेटर/स्टिचर, आपरेटर लाइनो /मोनो, प्रूफ रीडर (जिसकी हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू का पर्याप्त ज्ञान हो और शत-प्रतिशत प्रूफ कार्य कर सके), कास्टर (जो लाइनों/ मोनो गोल्ड को ठीक कर सके और छोटी-मोटी मरम्मत कर सके), प्रधान रोकड़िया प्रधान लेखाकार, आशुलिपिक, ज्येष्ठ विक्रेता, प्रधान लिपिक, रोकड़िया, लेखाकार, मुनीम, टंकण/लिपिक, स्टोर कीपर, टाइमकीपर, सेल्समैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 46 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

कार्यालय चपरासी, चौकीदार, सफाई मजदूर, प्रचारक (पब्लिसिटी मैन) और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्धकुशल :

लाइन मैन, द्वारपाल (गेटमैन), सहायक द्युतकार या वायर मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल :

वातानुकूल आपरेटर, जेनरेटर आपरेटर, पेन्टर, बढई इलेक्ट्रीशियन, मुख्य आपरेटर, रिवाइण्डर/आपरेटर, बुकिंग क्लर्क लिपिक, टंकक, लेखाकार, रोकड़िया और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 47 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

रंगने वाला, पैकिंग करने वाला, छपाई करने वाला, चौकीदार, चपरासी, पानीवाला, वियोतिनी वाला, धुलाई वाला, प्रेस वाला, हेल्पर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्धकुशल :

दहड़या, रंग बनाने वाला, सिलाई करने वाला, गोट लगाने वाला, कलेण्डरवाला, माल दिखाने वाला, बढई फिटर, झाड़वर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल :

डिजाइन बनाने वाला, ब्लाक बनाने वाला, स्क्रीन बनाने वाला, टिकाइया (रेखा डालने वाला), ब्यायलर मैन, सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, फोरमैन, केमिस्ट, सिल्क प्रिंटर, छपाई वाला, प्रधान लेखाकर, प्रधान, प्रधान मुनीम, प्रधान रोकड़िया, लिपिक, मुनीम, तागादगीर, रोकड़िया, टंकक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 48 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

सफाईकार, पैकर, चपरासी, लोहा गरम करने वाला, हेल्पर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्धकुशल :

बटन लगाने वाला, काज तैयार करने वाले व्यक्ति, दर्जी का हेल्पर, पायजामा/साधारण कुर्ता/अण्डर वियर सिलने का कार्य करने वाला व्यक्ति, मरम्मत का कार्य करने वाला व्यक्ति, उधेड़ने का कार्य करने वाला व्यक्ति, प्रेस मैन, मशीन की सफाई करने वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल :

कटर, नपाई का कार्य करने वाले व्यक्ति, पायजामा/कोट/कमीज/अचकन/शेरवानी/ब्लाउज/लेडीज गाउन/मैक्सी आदि सिलने का कार्य करने वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे, उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 49 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

चपरासी, चौकीदार, सफाई मजदूर, माली, हेल्पर, श्रमिक, सार्टर, सहायक लोहार, रिक्शा चालाक/गाड़ीवान, पैकर, गेटकीपर, कुटाई और खरल करने वाला, खलासी, तौने वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्धकुशल :

सहायक मशीन मैन, लोहार, सहायक प्रचारक, निर्माण सहायक, पेकर (जो दवाओं के साथ पर्ची इत्यादि की पैकिंग भी करता है), फायर मैन, सीनियर मददगार, प्लम्बर, सहायक इलेक्ट्रीशियन, चेकर, बढई, डिस्पेंसर, प्रयोगशाला परिचर,

पेन्टर, कम्पाउण्डर, वाटल फिलल और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहें उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल :

मशीन मैन्, ड्राइवर, सुपरवाइजर, इलक्ट्रीशियन, एयर कण्डीशनर मकैनिक, फिटर, प्रचारक(कन्वेयर), पैकर, सुपरवाइजर, जूनियर केमिस्ट, फामेसिस्ट, फोरमैन, सिफ्ट इंचार्ज, मुनीम, टाइम कीपर, टंकक, सहायक स्टोर कीपर, वैद्य, हकीम, रोकड़िया, लेखा लिपिक, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ बिक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, बिक्री प्रतिनिधि और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहें उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट- 1 के क्रमांक 50 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल :

चपरासी, सुरक्षा गार्ड, सहायक वार मैन्, गेम ब्वाय, रूम ब्वाय, मसालची, गेट मैन्, सफाईकार, पेन्ट्री सहायक, लाउण्ड्री मैन्, टेनिस ब्वाय, क्लीनर, कहार, हैल्पर, मजदूर, और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहें उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल :

रसोइया, तन्दूरिया, कन्फेक्शनर, हलवाई, बेकरी मैन्, आर्डर सप्लाय करने वाला, कवाबसीक बनाने वाला, भेलपुरी वाला, खानशामा, कारचालक, शिफ्टमैन, सहायक विद्युतकार, प्रशिक्षण (तैराकी वाला), बार मैन्, समोसे वाला, रोटी वाला, चपाती वाला, पूरी वाला, डोसा वाला, भाजी वाला, आइसक्रीम वाला, पैन्ट्री मैन्, चाय/ काफी वाला, मार्केट मैन्, फालूदा मेकर, शर्बत वाला, लस्सी वाला, अन्य वेटरस, माली, वायर मैन्, सहायक विलियर्ड कोच, सहायक टेनिस कोच और अन्य कोच और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कोई कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार जाये।

कुशल :

प्रधान रसोइया, प्रधान बैरा, प्रधान वेटर, बटलर, विद्युतकार, बढई, मुख्य प्रशिक्षक(तरण ताल), प्रधान बार मैन्, हाउस कीपर, टेनिस कोच, विलियर्ड कोच, स्क्वैश कोच और अन्य कोच, बार प्रभारी रसोई प्रभारी, मुख्य माली, प्रधान लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक, प्रधान लेखाकार, प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रधान स्टोर कीपर, प्रधान मुनीम, ज्येष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक, स्टीवर्ड, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, लिपिक, काउण्टर लिपिक, टंकक, स्वागतकर्ता, बिलमैन, सहायक स्टीवर्ड, टेलीफोन आपरेटर, खरीददार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कोई कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार जाये।

परिशिष्ट-1 के क्रमांक 51 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल:

चपरासी, चौकीदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल:

तनहरा, रिवाइन्डर (नली भरने वाला), बाबिन भरने वाला, विटाई और चारपाई का कार्य करने वाला ओर इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल:

नक्साबंद, गरुआ गोड़, जारदोनी, ड्राइंग मास्टर, मास्टर वीवर, बुनकर, खडारी वाला, रंगने वाला, पत्ती कटाई, गुल्लोफानी, तारकशी, गिट्टक हस्तकर्म, प्रधान लिपिक, प्रधान मुनीम, प्रधान रोकड़िया, प्रधान लेखाकार, आशुलिपिक, प्रधान स्टोर कीपर, लिपिक, टंकक, रोकड़िया, मुनीम, लेखाकार, स्टोर कीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के क्रमांक 52 से 54 के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण --

अकुशल:

हैल्पर, पैकर, कटर, स्टैम्पर, मार्कर, तौलनेवाला, लैब ब्वाय, लोडर, मजदूर, रिक्शाचालक, ठेलावाला, स्पिनर(हैन्ड व्हील), चीफ वाइण्डर(हैन्ड व्हील), वेपट बाविग बाइण्डर(हैन्ड व्हील), ब्लेन्डिंगमैन, जैममैन, वाच एण्ड वार्ड/चौकीदार मिलर(मैनुअल), हापरमैन, वूल स्कोरिंग मैन्, सन ड्राइंग टैण्टरिंगमैन, रा-ऊलसार्टर, चपरासी, स्वच्छकार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल:

भट्ठीवाला, ब्वायलर अटेंडेण्ट, सहायक फिटर, सहायक वेल्डर, सहायक टेस्टर, हिटण्डर, चीफ बाइण्डर (बाइन्डिंग मशीन), काप बाइण्डर (बाइन्डिंग मशीन), फैटलर, रंगसाज (डायर), मीलिंग मशीनमैन, हाइड्रोएक्स ट्रेक्टर मशीनमैन, रेजिंग

मशीनमैन, वांशिग मशीनमैन, माथ प्रूफिंग मैन, वेल्डमैन, लेबलर, रोटरी प्रेसमैन, आयलमैन, कार्डिंग मशीनमैन, फियर नाट मशीनमैन, कटर्स, वे-मैन, पकैया, सहायक आपरेटर, कढ़ाववाला, सेण्ट्रीपयूगलमैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल:

सोप मिस्ट्री, फिटर टेस्टर, वेल्डर, चार्जमैन,, मशीन आपरेटर, ड्राइवर, बुनकर, ताना बनाने वाला (बारबर), रिंग फेम आपरेटर, कन्डेसरमैन, इंजन आपरेटर, लोहार, इलेक्ट्रीशियन, लिपिक, गोदाम कीपर, टाइपिस्ट, सेल्समैन, लेखाकार, रोकड़िया, कनिष्ठ लिपिक, मुंशी, मुनीम, प्रधान मुनीम, प्रधान लेखाकार, मुख्य रोकड़िया, आशुलिपिक, ज्येष्ठ बिक्रीकर्ता, मुख्य लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट-1 के कमांक 55 से 56 के सम्मुख उल्लिखित नियोजनों के सम्बन्ध में श्रेणीकरण

अकुशल:

पल्लेदार, मजदूर, सफाईकार, क्लीनर, वेपट डिस्ट्रीब्यूटर, पानीवाला, चपरासी, धुलाईवाला, धोबी, गार्डनर, क्लीपर, पैकर, हैल्पर सूत खोलने वाला वाइण्डर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल:

रफूगर, पावरलूम रिचर, थ्रोअर, फिनिशिंग, मशीनमैन, थ्रेड साइजर, बैक साइजर, फोल्डर, विवस्टर,टिवस्टर, चेकर, डिजाइन कलाथ कटर, आयल बेल्डर, लीचर, स्टाम्पर, आयलर, मार्कर, ब्यालर, वाटर मैन औरइसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल:

फिटर, बढई, हैण्डलूम रिचर, डाइंग मास्टर, जाबर, इलेक्ट्रीशियन, फ्रन्ट साइजर, ड्रायर, वायरमैन, ब्यालर परिचर, सेल्समैन, मिस्ट्री, दर्जी, कार्ड कटर, वार्पर, बुनकर, गठनी करने वाला, मैनेजर, डिजाइन मास्टर, अभियन्ता, प्रधान मुनीम(जहाँ एक से अधिक मुनीम हों), प्रधान लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, लिपिक, आशुलिपिक, टंकक, रोकड़िया, मुनीम मुंशी और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट-1 के कमांक 57 के सम्मुख उल्लिखित नियोजनों के सम्बन्ध में श्रेणीकरण

अकुशल:

हेल्पर, अस्तरवाला, बखलवाला, घुण्डीवाला, कांचवाला, बघारवाली, बैच मिक्सर, कोयला डालने वाला, ठण्डी बत्ती वाला, पन्ती वाला, पिसाई वाला, पैकिंग प्रक्रिया से माल मिलाने वाला, पैकर, बवलर, ठण्डा बावरी वाला, गेजमैन, भराई करने वाला कैरियर, रबर फास्ट, मोहर लगाने वाला, सांचे वाला, खर्सी वाला, सलाई वाला, पानी वाला जाली वाला, कांच ढोने वाला, लीवर वाला, स्टैम्प सील, वासर, कुकर, सीलिंग हैल्पर, कैप लगाने वाला, बेकर, बफर, बैसर, चुनईया, बाल कूलर, बाल मेकर, स्टोर मैन, मजदूर, गेटमैन, कुली, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल:

गुल्लीवाला, लोम मैन, पहल वाला, गरम लोम वाला, घिसाई वाला, प्रास्टर, ग्राइन्डर, मोल्डर, वाटल जार स्टापर, फिलर मैन, ग्लास कटर, रूसा भट्ठी वाला, रूसा ग्लास सहायक, खरादी, ग्लोब कटर, मझला फोरमैन, बीडर, चेकर, ट्यूब कटर, मिडिल मैन, बीडिंग राड खीचने वाला, गिनेथा सोल्डर, पॉलीसर, मिक्सर मैन, लोम देने वाला, लोम बनाने वाला, बेल्ड मैन, कम्प्रेसर मैन, क्लीनर, पल्लेदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल:

सीलर, एक्जास्टर, एडजस्टर, माउन्टर, रिंग फिल्टर, स्टेम मेकर, सिकैया, फायर मैन, क्रापलिंग ओवन इंचार्ज, जेनरेटर इंचार्ज, इलेक्ट्रिक इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, मिक्सिंग इंचार्ज, फिनिशिंग इंचार्ज, इंचार्ज मिस्ट्री, बत्ती वाला, मुट्ठी वाला, बेलन वाला, बत्ती लगाने वाला, जगाई वाला, झोकाई वाला, तारकस, मल्ला हैण्डलर, इनग्रेवर, ब्लोवर, फोरमैन, लोहार, मिस्ट्री, बढई, खरादी, फिटर,, फर्नेसमैन, हैण्ड वर्कर ड्रिलमैन, मोटर वाइण्डर, प्रेसमैन, ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, कनिष्ठ लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट-1 के कमांक 58 के सम्मुख उल्लिखित नियोजनों के सम्बन्ध में श्रेणीकरण

अकुशल:

मजदूर, चौकीदार, पहरेदार, चपरासी, सफाई मजदूर, हैल्पर, अटेन्डेन्ट और बिल्कुल अकुशल प्रकार कार्य, जिसमें अनुभव या अहंताओं की आवश्यकता न हो, करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल:

मोटर मेन्टीनेन्स के हेल्पर, स्विचबोर्ड अटेन्डेन्ट, वाटर पम्पों के अटेन्डेन्ट, आयलमैन, प्रेस मैन, कलेण्डर मैन, पल्प ब्वाय, पैकर, वाटमैन, वीटरमैन, कन्वेयर मैन, फायरमैन, कुकर मैन, वायर मैन, पल्प अटेन्डेन्ट, एम0जी0 पेपर अटेन्डेन्ट, गनमैन, पैकर मैन, और इसी प्रकार का अर्द्धकुशल कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल:

मशीन चलाने का ज्ञान रखने वाले मशीन आपरेटर, मशीनमैन, प्रथम श्रेणी का ब्वायलर सर्टिफिकेट रखने वाले ब्वायलर अटेन्डेन्ट, आई0टी0आई0 का प्रमाण-पत्र रखने वाले विद्युतकार, वीटरमेट, कुकरमेट, फिटर सोल्डर मैन, कारपेन्टर, कटर, फिनिशर, लेखालिपिक, आशुलिपिक, लेखाकार, गोदाम रक्षक, स्टोर पर्चेज आफिसर, टाइमकीपर, सेल्समैन, सुरक्षा अधिकारी, रोकड़िया(कैशियर) तथा इसी तरह का कुशल प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मकार, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट-1 के कमांक 59 के सम्मुख उल्लिखित नियोजनों के सम्बन्ध में श्रेणीकरण

अकुशल:

चपरासी, चौकीदार, बेलदार, हैल्पर, फायरमैन, क्लीनर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल:

ड्राईवर, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, रोकड़िया, प्रधान लिपिक, मुनीम, लेखाकार, लिपिक, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

आज्ञा से,
अनीस अंसारी
प्रमुख सचिव

**UTTAR PRADESH GOVERNMENT
SHRAM ANUBHAG – 3**

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 401/36-3-06-7(M.W.)/04 dated February 24 ,2006 for general information :

NOTIFICATION

No. 401/36-3-06-7(M.W.)/04
Lucknow. Dated February 24 , 2006

In exercise of the powers under clause(b) of sub-section(1) and sub-section(2) of section 3 read with clause(i) of sub-section(1) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948(Act no. XI of 1948), and in supercession of the notifications mentioned in Annexure-I and after considering objections and suggestions received in respect of the Government notifications no. 198/36-3-99-8 (MW) /89 dated February 4, 2000, no. 3604/36-3-99-3 (MW) /97 dated October 25,1999, no. 200/36-3-2000-3 (MW)/83 dated February 3, 2000, no. 4106/36-3-99-65(MW)/84 dated December 22, 1999, no. 605/36-3-2000-13(MW)/91 T.C. dated March 6, 2000, no. 3704/36-3-99-3(MW)/99 dated November 22, 1999 and no. 419/36-3-2000-1044(MW)/75 T.C. dated March 22, 2000 published in Official Gazette and with the advice of the Uttar Pradesh Minimum Wages Advisory Board, the Governor is pleased to revise the minimum basic rates of wages, on the average price index no. 522 for the period from July 2004 to December,2004, of All India Consumer Price Index (1982=100) for the employees employed in **59 scheduled employments** mentioned in Annexure-I below with effect from the date of publication of this notification in the Gazette :-

Basic rate of wages in employment mentioned at serial no. 1 to 58 of Annexure – 1 will be as follows.

S.No.	Category	Minimum basis wage rates payable to employees
1.	Unskilled	Rs. 2600=00 per month
2.	Semiskilled	Rs. 2964=00 per month

3.	Skilled	Rs. 3290=00 per month
----	---------	-----------------------

Basic rate of wages in employment mentioned at serial no. 59(Employment in Brick Klin Industry) of Annexure – 1 will be as follows.

S.No.	Category	Minimum basis wage rates payable to employees
1.	Unskilled	Rs. 2600=00 per month
2.	Skilled	Rs. 3290=00 per month
3.	Nikasi Wala	Rs. 76.25 per Thousand bricks
4.	Pathera (1) (2)	Rs. 204.60per Thousand bricks (Including commission) Rs. 218.90 per Thousand bricks (Excluding commission)
5.	Bharai Wala	Rs. 76.25 per Thousand bricks
6.	Chunai Wala	Rs. 13.75 per Thousand bricks

Note:- Categories of the employees are mentioned in Annexure-II

2. Variable Dearness Allowance

For any rise over 522 Points of All India Consumer Price Index (1982 = 100), neutralising the dearness 100 %, the V.D.A. shall be paid from every April and October respectively for the period of July to December of preceding year and January to June of the same year.

Illustration

On an imaginary average points of 525 for the period of January, 2005 to June, 2005 of All India Consumer Price Index (1982 = 100) , payable amount of Variable Dearness Allowance will be as follows :-

$$\frac{(525 - 522)}{522} \times 2600 = 14.94$$

- 3- The daily rate of wages shall not be less than 1/26 of the minimum basic rate plus Variable Dearness Allowance.
- 4- The hourly rate wages shall not be less than 1/6 of the daily rates.
- 5- The employees, whose working hours including interval for rest, are less than 06 hours a day or 36 hours a week, will be treated as part time employees and their hourly rate shall not be less than 1/6 of corresponding daily rate.
- 6- The above rates of wages shall not in any way operate to the prejudice of any employee. If the rates of wages prevailing before coming into force of these rates are higher than the prevailing rate shall be continued and paid as if they have been so fixed under the said Act as minimum rates of wages and in no case the same shall be reduced by any employer.
- 7- If any work is performed or taken on piece-rate, the guaranteed rate for such work will be the presently determined time rate.
- 8- The time rate of minimum basic rate of wages, as decided above includes remuneration in respect of the day of the rest, as contemplated under clause (b) of sub sections(1) of section 13 of the Minimum Wage Act, 1948.
- 9- If an employer undertakes any work of employment, through contract labour, with or without obtaining the Certificate under the Contract Labourer(Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act no. XXXVI of 1970) such labour shall be deemed to be the labour engaged by the employer directly in view of section 9 of the said Act read with the sub-clause(iv) of clause(i) of section 2 of the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947(U.P.Act no. XXVII of 1947) and shall also be entitled to the same rate of wages and cost of living allowance which have been made admissible under Paras 1 and 2 of the notification.
- 10- The rate of minimum time rates wages payable to adolescent shall not be less than time rates payable to an adult employee.

ANNEXURE - I

Serial No.	Name of the schedule employment	Notification No. and date
1-	Employment in rubber manufacturing and rubber products industry(including tyer tubes)	3636/36-3-8 (mw)/89 dated October 31, 1996
2-	Employment in plastic industry and plastic products industry	-do-
3-	Employment in confectionary industry	-do-
4-	Employment in manufacturing of aerated drink	-do-
5-	Employment in fruit juices manufactory	-do-
6-	Employment in plywood industry	-do-
7-	Employment in pet rol and oil pump	-do-
8-	Employment in dairy , milk dairies	-do-
9-	Employment in readymade garments manufactory	-do-
10-	Employment in construction and maintenance of dam embankments irrigation projects ,sinking of wells and tanks	-do-
11-	Employment in all registered factories not covered before	-do-
12-	Employment in private hospitals , clinics and medical shops by what ever name called	-do-
13-	Employment in any foundry	-do-
14-	Employment in any metal industry	-do-
15-	Employment in tin plate shaping and printing	-do-
16-	Employment in engineering industry employing less than 50 persons	-do-
17-	Employment in tanneries and leather manufacturing	1870/36-3-12 (mw)/94 dated June 13, 1996
18-	Employment in leather goods manufacturing industry	-do-
19-	Employment in hosiery works	1057/36-3-1 (mw)/92 dated July 04, 1994
20-	Employment in private libraries	2524/36-3-20 (mw)/92 dated November 24, 1994
21-	Employment in wood works and furniture	858/36-3-8 (mw)/92 dated July 04, 1994
22-	Employment in private coaching classes ,private school including nursery school and private technical institutions other than , (a) a madarsa run by muslim community where no fee or a nominal fee is being charged from the student (b) a private schools run by religious or charitable institution where no fee or nominal fee is being charged from the students (c) a balbadi run by the U. P. council for the child welfare (d) a recognised private school receiving government aid	4814/36-3-21 (mw)/83 dated January 31, 1991
23-	Employment in tobacco manufacturing	859/36-3-5 (mw)/83 dated July 04, 1994
24-	Employment in dharmasalas	3542/36-3-6 (mw)/93 dated December 30, 1994
25-	Employment in forestry , logging and timbering including Employment in collection of any other forest produce and transportation of the same to the market	875/36-3-3 9(mw)/93 dated May 22, 1995
26-	Employment in shops	214/36-3-6(mw)/90 dated January 18, 1992
27-	Employment in commercial establishments	-do-
28-	Employment in rice mill , flour mill or dal mill	3596/36-3-2(mw)/85 dated November 30, 1991
29-	Employment in oil mill	-do-
30-	Employment in public motor transport	3595/36-3-4(mw)/90 dated November 28, 1991
31-	Employment in mechanical transport workshop	-do-
32-	Employment in automobile repair workshop	-do-
33-	Employment in construction or maintenance of roads or in building operations	3815/36-3-10 (mw)/90 dated October 30, 1991
34-	Employment in stone breaking or stone crushing	-do-
35-	Employment in chicken work	-do-
36-	Employment in match industry	-do-
37-	Employment in ice candy ,ice cream manufactories	-do-
38-	Employment in bakeries and biscuit manufactories	-do-
39-	Employment in ice manufactories	-do-
40-	Employment in asbestos cement factory and other cement products manufactories	-do-
41-	Employment in laundries and washing establishments	-do-
42-	Employment in book binding	-do-
43-	Employment in cold storages	-do-
44-	Employment in potteries , ceramics or refractories	-do-
45-	Employment in private printing presses	4482/36-3-1019 (mw)/80 dated January 31, 1992
46-	Employment in cinema industry	216/36-3-6 (mw)/90 dated January 20, 1992
47-	Employment in printing of cloth	3814/36-3-10 (mw)/90 dated October 30, 1991

48-	Employment in tailoring industry	3600/36-3-1077 (mw)/77 dated November 19, 1991
49-	Employment in ayurvedic , allopathic and unani pharmacies	215/36-3-6 (mw)/90 dated January 20, 1992
50-	Employment in clubs	3816/36-3-10 (mw)/90 dated October 30, 1991
51-	Employment in Handloom (weaving of silk saree) Zari work in U.P.	2593/36-3-1001(MW)/78 dated April 2, 1990
52-	Employment in washing or toilet soap or silicate or soap powder or detergent manufacturing in U.P.	1331/36-3-3(MW)/83 dated July 27, 1990
53-	Employment in Woolen Blanket making establishment in U.P.	-Do-
54-	Employment in Khandsari in U.P.	-Do-
55-	Employment in Handloom Industries in U.P.	2987/36-3-65(MW)/84 dated November 08, 1995
56-	Employment in Powerloom Industries in U.P.	-Do-
57-	Employment in Miniature Bulb and Glass Product Manufacturing industries (Except optical lenses and glass bangles industries) in U.P.	4472/36-3-313(MW)/91 dated February 04, 1992
58-	Employment in Paper, Straw board and Paper board industries in U.P.	726/36-1-623(S.T.)/81 dated March 12, 1992
59-	Employment in Brick Klin industries in U.P.	1334/36-3-1044(MW)/75 dated August 08, 1990

ANNEXURE - II

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 1 to 16 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Peon, chaukidar, packer, sweeper, labour, orderly, loader, unloader, helper, waterman, palledar, charawala, dai, aya, wardboy and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Mixturemen, moulder, assistant machine operator, cutter, juraiwala, weighman, assistant karigar (mithai), sealer, lebeler, bottle juice filler, fireman, assistant machine man, assistant black smith, assistant turner, assistant welder, assistant fitter, assistant supervisor, assistant inspector, assistant doors assembler and finishers, delivery man, pump attendant, farm man, tester, milkman, milk delivery man, pressman, buttunwala, kajbananeywala, turpaiwala, napaiwala, beldar, mate, tressure, mali, engine driver, assistant operator, jugaria, assistant machine operator, assistant machine molder, chiraiya, assistant compounder, patti bandheney wala, plaster man and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Operator, supervisor, driver, mistri, karigar, machineman, filler, mixer, check fitter, press operator, turner, boiler attendant, assistant quality inspector, electrician, assistant foreman, cutter, designer, tailor, generator operator, blacksmith, carpenter, inspector, compounder, nurse, lab technician, xray technician, vinier maicher, welder, door assembler and finishers, head supervisor, head incharge, chemist, foreman, quality inspector, dairy incharge, head designer, pharmacist, clerk, typist, munim, tagadgir, salse man, store keeper, accountant, cashier, stenographer, accounts clerk, purchaser, assistant telephone operator, bill cutter, head accountant, head munim, head clerk, head cashier, head sales man, telephone operator, head purchaser and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 17 to 18 of the Annexure - I.

UNSKILLED

Raw handlers, pits, puddles and drum worker, scudders, pilers, coolies, sweeper, watch and ward, peons, workers feeding automatic machine like spray, plating, staking etc., bording and toggling worker, vacuum drier workers helpers(boiler, electrical, fitter, carpentry,) helper on all type of machine, packing and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Machine operator(unhairing, fleshing, scudding, setting, sammying, buffing, jaw staking, shaving glazing, embossing/ plating press, pundullom/ rolling, dhekia), hand feshier, hand scourers, hand setter, hand trimmers, mistries and supervisors and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Splitting machine operators, fitters, electrician, licenesed boiler attendant, turnres, carpenter, munim, accountant, cashier, typist, clerk, sales man, ugahi, tagadgir, head munim, chief accountant, head cashier, senior sales man, head clerk, office superintendent, stenographer, sales representative and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 19 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Packer, helper, peon, chaukidar, sweeper, labelman, waterman, mali any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMI SKILLED

Knitter, pressman, cutter, winder, washing man, button fastner, mender, garment checher, bleacher, assistant machine man ,assistant operator,neek-cutter ,oil man any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Master, head mechanic, supervisor, fitter, machineman, operator, mistri, tailor, minder master, designer, auto machines sock knitter, senior examiner, dyers, assistant accountant, junior accountant, clerk, typist, telephone operator, store keeper, cashier, head clerk, senior clerk, head cashier, head store keeper, head munim, senior accountant, stenographer and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 20 of the Annexure – I.**UNSKILLED**

Peon, mali, chaukidar, booklifter, sweeper and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Geniter, daftari and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Librarian, deputy librarian, senior cataloger, junior cataloger, magazine assistant, exation cleer, office superintendent, library assistant, issue clerk, pustak prabhari, clerk, typist and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 21 of the Annexure – I.**UNSKILLED**

Goods carrier, packers, helper, chaukidar, sweeper, mazdoor and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Carvers, engravers, cutters, inlay worker, carpenter(in work of wood carving), drawer, frontman, polishers(in work of wood carving), assistant cutter, assistant oilman and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Carpenter(in work of furniture making), mistri, polishers (in work of furniture making), pattern maker, saw mistri, machineman (and other skilled employee who have job experience of over five years and of carving, engraving etc. supervised the work of the skilled and semiskilled workers), senior clerk, head munim, chief account clerk, chief accountant, head cashier, senior head munsu, senior sales man, head clerk, munim, accountant, cashier, accounts, clerk, typist, clerk, munsu, salesman, junior clerk and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 22 of the Annexure – I.**UNSKILLED**

Peon, chaukidar, rikshwa pullar, mali, cleaner, beldar, masalchi, aya, waiter, caretaker and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Daftari, meason, cook and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Bus/truck driver, carpenter, plumber, electrician, lab assistant tailor, nurse, compounder, clerk/typist, librarian/cashier, junior accountant, senior accountant, head clerk, head cashier and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 23 of the Annexure – I.**UNSKILLED**

Packer, stamper, marker, loder, unloader, peon, chaukidar, mazdoor, sweeper, rickshaw puller and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Weighman, tobacco mixture, tobacco chhanane wala and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Supervisor, driver(heavy vehicles) head munim, head clerk, head cashier, head store keeper, senior clerk, senior accountant, head sales man, stenographer, clerk, munim, accountant, typist, senior storekeeper, salesman and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 24 of the Annexure – I.**UNSKILLED**

Peon, chaukidar, roomboy, helper, mali, kahar, jamadar and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Labour incharge, electrician, cook and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Accountant, munim, cashier, clerk, typist, assistant manager, supervisor, head clerk, office superintendent, manager, deputy manager and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 25 of the Annexure – I.**UNSKILLED**

Lopping and felling, sawing, de-barking, making ballies, slash making, kandha dhulan(main felling) loading(sawn timber), unloading(round and sawn timber), plantation(including nursery, forestry), unskilled job in resion tapping, unskilled job in road and building construction, collection of medical herbs, cutting of bamboos, handling and stacking of timber, handling and stacking of firewood, collection of Sal seeds, collection of tendu leaves and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Billeting, kandha dhulan(scattered filling), log slide, nali floating, khud floating, river floating, loading(round timber), skilled job in raision tapping, skilled job in road and building construction, forest billeting (field sawing) and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 26 and 27 of the Annexure – I.**UNSKILLED**

Palledar, packer, bundlers, loders, unloaders, peon, mazdoor, chaukidar, safai mazdoor and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Gowdown keeper, weighman, mistri, cycle repairer, golden and silver chilaiwala, silver pakaney wala, razder and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Driver, machild man, carpenter, fitter, welder, painter, electrician, designer of ornaments of gold and silver, supervisor, chemist, mechenic, operator, munim, accountant, cashier, typist, clerk, salesman, ugahi, tagadgir, head munim, head accountant, head cashier, senior search man, head clerk, office superintendent, stenographer, sales representative and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 28 and 29 of the Annexure – I.**UNSKILLED**

Packer, coolie, storeboy, mazdoor, mali, watchman, chaukidar, gatekeeper, peon, massanger, storeman, helper, bardana man, coalman, ghani man, kamdar, sweeper and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Washerman, grouping man, lineman, tagadgir, watchman incharge and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Mistri, rollerman, silkman, purifierman, oilman, angleman, fitter, tinsmith, carpenter, turner, driver, electrician, electric mistri, markman, pasteman, machineman, operator, weighman, supervisor, boiler attendant, welder, painter, kolhu cutter, kolhu kharadi, pump attendant, head munim, chief accountant, head cashier, senior salesman, head clerk, office superintendent, stenographer, sales representative, munim, accountant, junior clerk, w.r.clerk, delivery clerk, salesman, timekeeper and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 30 to 32 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Ordaly, peon, bhisti, watarmen, chaukidar, mazdoor, sweeper, cleaner, hair dresser, cobbler, chamber servant, treasury peon, store mazdoor, loader, vehicle washer, coolie, office boy, petrol pump attendant and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Grinder, boring man, assistant painter, radiator repairer, welder, blacksmith, assistant fitter, assistant mechenic, conductor, daftari, zamadar, bundle lifter, dafadar and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Serviceman, workshop supervisor, mechenic, driver, turner, fuse injuction, punchman, painter, fitter, latheman, air conditioner, mechenic, mistri, gate sargent, electrician, tinsmith, compounder, supervisor, assistant store keeper, carpenter, vulcanizer, upholster, traffic superintendent, station superintendent, manager, worksincharge, overseer, foreman, head clerk, stenographer, senior accountant, draftsman, godown keeper, head cashier, store superintendent, accountant, assistant accountant, clerk-cum-typist, melaman, accounts clerk, out agency clerk, cashier, assistant godown keeper, superintendent receipt and dispach, stoerkeeper, progress checker, station incharge/master, traffic inspector, head time keeper and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 33 to 44 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Fireman (ordinary furnace), slip house worker, fitter(including pressing and lugging), glazor(by dipping process), loader and unloader of saggars, clins and other meterial, chaukidar, peon, sweeper/scrapper, helper, mazdoor, jalley and dye press worker, sorter, stamp marker, plunger, seive attendant, agitator, mixer, cylender mazdoor, pulvirizer attendant, pump attendant, mould maker, truck cleaner, trolley loader, unloader, waterman, brick press attendant, brick tiles pres attendant, store wire pipe press attendant, store ware pipe attendant, mate, trainee, finishers and caster, conveyer, gateman, handle man, packer, coolie, watchman, cach peon, sorter, counter boy and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Pressman, dhobi, machineman, tailor, assistant supervisor, assistant mistri, potter, caster and finisher making pots by throwing on casting process, fireman(tunnel furnace), head fireman(ordinary furnace), color sprayer(including glaging by spray), assistant lathemen, sagarman, jarman, jigarman, joiner, oilman, sagar maker, assistant dye fitter, assistant mason, assistant carpenter, wireman, caster lacer polisher, grinder, block maker, cylender attendant, hammerman, assistant painter, packer for packing biscuits, assistant electrician, klin man, checker, pipe cutter, oiler, assistant foreman, helper to electrician, order supplier, book binder, binder, cutter, sticher, daftari, karigar, dahaiya, color maker, sweing man, hamming man, calander man, mal dikhane wala, assistant machine operator, assistant machine man, weighman, doodh chini adi machine main dalney wala, maker, rollar driver, mixer and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Potter(making pots exceeding 4.5 ltr. capacity) dye fitter, turner(lathemen), moulder, dye maker, carpenter, artist, designer, mason, motor generator, driver, electrician, paperman, painter, chakwala, kumhar, fitter, blacksmith, welder, motor winder, automobile driver, shaperman, supervisor, head mistri, store incharge, head boiler man, design maker, block maker, chemist, silk priner, engineer, chief operator, foreman, rafoogar, surveyor, plumber, freezer, head munim, chief accountant, head accountant, head cashier, stenographer, head clerk, office superintendent, steward, head store keeper, munim, accountant, clerk, cashier, salesman, tagadgir, delivery clerk, timekeper, typist, storekeeper and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 45 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Peon, sweeper, chaukidar, mazdoor, packer, paper lifter, late cutter, unskilled helper to machine man and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Assistant sangsaz, assistant machineman, paperman, kachcha binder, inkman, distributor, grinding man, paper cutter, grainer, copy holder, paper feeder, assistant compositor, checker/ examiner, daftari and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Machineman, pressman, pakkabinder, compositor, diemaker/ cutter/ painter, blockmaker, proofman, carpenter, sticher, plate printer, proof reader, electrician, blacksmith, sangsaz, caster lino/ mono, machineman who can operate every automatic cylender machine and can do 2,3 and 4 types of colour jobs, compositor who has adequate knowledge of type in hindi, english and urdu and can perform job work such a balance sheet, cash memo, invitation card etc., block maker who can make half tone and 4 colour block, designer, artist, cameraman/ operator/ retoucher, operator lino/ mono, proofreader who has adequate knowledge of hindi, english and urdu and can give cent percent proof, caster who can correct lino/ mono mould and do miner repaires, head cashier, head accountant, stenographer, senior salesman, head clerk, cashier, accountant, miunim, typist, clerk, stoerkeeper, salseman and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 46 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Office peon, chaokidar, sweeper, publicity man and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Lineman, gateman, assistant electrician/ wireman and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Air conditioner operator, generator operator, painter, carpenter, electrician, chief operator, revinder/ operator, booking clerk, clerk, typist, accountant, cashier and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 47 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Dyer, packer, printers, chaukidar, peon, water man, bytinewala, dhulaiwala, pressman, helper and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Dahaiya, color maker, sewing man, hamming man, calendar man, maldikhaneywala, carpenter, fitter, driver and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Design maker, block maker, screen maker, thikaiya (rekhadalneywala), boiler man, supervisor, foreman, chemist, silk printer, chhapaiwala, head accountant, head munim, head cashier, clerk, munim, tagadgir, cashier, typist and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 48 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Sweeper, packer, peon, loha garam karnewala, helper and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Button stitcher, person preparing kaz, helper to tailor, person doing the job of stitching pajama, simple kurta, underwear, person doing the job of repairing, person doing the job of unstitching, pressman, machine cleaner and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Cutter, person doing the work of measuring, person doing the job of stitching of trousers, coats, shirts, achkan, sherwani, blouses, ladies gown, maxies etc. and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 49 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Peon, chaukidar, sweeper, mali, helper, mazdoor, sarter, assistant blacksmith, rikshapullar/ driver, packer, gatekeeper, kutai and kharalwala, khalasy, waighman and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Assistant machineman, blacksmith, publicity assistant, construction assistant, packer(who along with medicine also pack pamphlet etc.), fireman, senior helper, plumber, assistant electrician, checker, carpenter, dispenser, lab assistant, painter, compounder, bottle filler and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Machineman, driver, supervisor, electrician, air-conditioner mechanic, fitter, conveyer, packer, supervisor, junior chemist, pharmacist, foreman, sift incharge, munim, time keeper, typist, assistant store keeper, badhya, hakeem, cashier, account clerk, head munim, head accountant, accountant, head cashier, senior salesman, senior clerk, office superintendent, stenographer, sales representative and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 50 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Peon, security guard, assistant bar man, game boy, room boy, masalchi, gateman, sweeper, paintery assistant, assistant laundry man, tanis boy, cleaner, kahar, helper, mazdoor and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Cook, tanduria, confectioner, halwai, bakeryman, order supplier, kabab sek wala, bhelpuri wala, khansama, car driver, liftman, assistant electrician, instructor(swimming pool), barman, samosa wala, rotiwala, chapatiwala, pooriwala, dosawala, bhajiwala, icecreamwala, pantryman, tea/coffee man, market man, falooda maker, sherbat wala, lassi wala, other waiters gardeners, wireman, mali, assistant tennis coach assistant biliard coach and other coach and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Head clerk, head beerer, head waiter, butler, electrician, carpenter, chief instructor(swimming pool), head barman, housekeeper, tennis coach, biliard coach, squash coach and other coaches, bar incharge, kitchen incharge, chief mali, head clerk, senior clerk, head accountant, head librarian, head store keeper, head munim, senior accountant, stenographer, steward, assistant accountant, junior accountant, clerk, counter clerk, typist, receptionist, billman, assistant steward, telephone operator, khariddar and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 51 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Peon, chaukidar and any other employee doing the work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Tanhara, rewinder (nali bharne wala), bobbin bharne wala, bitai and charpai ka kam karne wala and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Nikshaband, garua gaur, jardan, drawing master, master weaver, Bunkar, khadriwala, dyingman, pattikatai, gullaphani, tarkashi gittak, hast karma, head clerk, head munim, head chashier, head accountant, stenographer, head store keeper, clerk, typist, cashier, munim, accountant store keeper and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 52 to 54 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Helper, packer, cutter, stamper, marker, weighman, labboy, lodar, mazdoor, riksha puller, thelewala, spinner (handwheel), chees winder(handwheel), weft bobbing winder(handwheel), blending man, jamman, watch and ward/ chaukidar, millers(manual), hopperman, wool securing man, sum drying/ tentering man, raw wool/ sorter, peon, sweeper and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Bhattiwala, boiler attendant, assistant fitter, assistant welder, assistant tester, heatender, cheese winder(winding machine) cop winder(winding machine), fittler, dyres, milling machine man, hydro extractor machineman, raising machine man, washing machine man, moth proofing man, beltman, lebeller, rotary press man, oilman, cardening machine man, fernaught machine man, cutters, pakaia, assistant operator, karhawawala, centri fugal man and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Soap mistri, fitter, tester, welder, chargeman, machine operator, driver, weaver, warper, ring frame operator, condenser man, engine operator, blacksmith, electrician, clerk, gowdown keeper, typist, sales man, accountant, cashier, junior clerk, munsu, munim, head munim, head accountant, chief cashier, steno, senior sales man, head clerk and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 55 to 56 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Palledar, Mazdoor, Sweeper, cleaner, weft distributor, waterman, peon, washer, dhobi, gardener, clipper, packer, helper, soot kholane wala / winder and other employees work of similar nature by whatever name called.

SEMI – SKILLED

Rafugar, powerloom reacher, thrower, finishing machineman, thread sizer, bach cizer, folder, quister, twister, checker, design cloth cutter, oil welder, bleacher, stamper, oiler, marker, boiler waterman and other employees work of similar nature by whatever name called.

SKILLED

Fitter, carpernter, handloom reacher, dying master, jobber, electrician, front cizer, drier, wireman, boiler attendant, salseman, mistri, tailor, card cutter, warper, weaver, healder, manager, design master, engineer, head munim (where there is more than one munim), head accountant, head cashier, stenographer, clerk, typist, cashier, munim, munshi and other employees work of similar nature by whatever name called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 57 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Helper, Astarwala, Bubblewala, Ghundiwala, Glasswala, Bagharwali, Batch Mixer, Coal Man, Thandi Battiwala, Pantiwala, Pissaiwala, Extractor of material from packing process, Packer, Bubbler, Thanda Bawriwala, Gaugeman, Bharai Karne Wala, Carrier, Rubber Fraust, Stamper, Sanchewala, Khursiwala, Melter, Waterman, Jaliwala, Glass Carrier, Liberwala, Stamp Seal Washer, Cooker, Seeling, Helper Cap

Laganewala, Baker, Buffer, Basor, Chunaiya, Bal Cooler, Bal Maker, Storeman, Mazdoor, Gateman, Coolie and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SEMISKILLED

Gulliwalla, loamman, pahalwala, hot loomwala, ghisaiwala, fraster, grinder, moulder, bottle, jar stopper, fillerman, glass cutter, rusa fireman, rusa glass assistant, turner, glove cutter, majhila foreman, weader, checker, tube cutter, middleman, weading rod khechnewala, counter, solder, polisher, mixerman, loam giver, loam maker, beltman, compressorman, cleaner, palledar, and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

SKILLED

Sealer, Ex-hauster, adjuster, mounter, ring filter, steam maker, sikaiman, fireman, corpling oven incharge, generator incharge, electric incharge, production incharge, finishing incharge, mixing incharge, incharge mistri, battiwala, muthawala, belanwala, batti applicer, jagaiwala, jhokaiwala, tarkash, malla handler, engraver, blower, foreman, blacksmith, mistri carpenter, turner, fitter fornacemen, handworker, drillman, motor winder, pressman, driver, engine driver, junior clerk, senior clerk and any other employee doing work of similar nature by whatever name he may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 58 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Mazdoor, Chowkidar, Watchman, Peon, Sweeper, Helper, attendant and other employees doing purely unskilled nature of job requiring no experience or qualification, by whatever name they may be called.

SEMI-SKILLED

Helper to motor maintenance, switch board attendant, attendant to water pumps, oilman, pressman, calanderman, pulpboy, packer wattman, beatermen, convayerman, fireman, cookerman, wireman, pulp attendant, m.g.paper attendant, gunman, packermate and other workman doing similar nature of semiskilled job, by whatever name they may be called.

SKILLED

Machine operator having knowledge of running the machine, machine man, boiler attendant having first class boiler certificate, electrician having ITI certificates, beatermate, cookermante, fitter, solderman, carpenter, cutter, finisher, accounts clerk, steno, accountant, godown keeper, store purchase officer, time keeper, salseman, security officer, cashier and other workman doing similar nature of skilled job, by whatever name they may be called.

Categorization in respect of the Employment mentioned at serial no. 59 of the Annexure – I.

UNSKILLED

Peon, chaukidar, beldar, helper, fireman, cleaner and other employees work of similar nature by whatever name called.

SKILLED

Driver, head munim, chief accountant, cashier, head clerk, munim, accountant, clerk or any other employees work of similar nature by whatever name called.

By order
Anis Ansari
Principal Secretary

१५३

*हिन्दी तथा अंग्रेजी के मूल्य 3 भाग में प्रमाण 59 पर अंकित। ईद आदुहा
उद्योग के नियोजन में नियोजित कार्यस्थलों के लिए न्यूनतम प्रचुरता की हरे।
तुर्की के प्रमाण 3, 4, 5 और 6 पर। निकालीवाला, फोरा, भारीकावा
का प्रकाशित। उल्लिखित तपस्व प्रविष्टियों को न बढ़ा जाय।*

संख्या : 101 / 36-3-06 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संसाधन एवं आच्छादक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जमापुस्त, उग्रगढ़, अजमेर।
- 2- सफात अजमेरपुस्त, उग्रगढ़।
- 3- सफात जिलाधिकारी उग्रगढ़।
- 4- अजमेर अजमेरपुस्त/अजमेर अजमेरपुस्त/अजमेर अजमेरपुस्त, उग्रगढ़।
- 5- अधिकांशी निदेशक, जमाने अजमेर, उग्रगढ़।
- 6- निजी सचिव, जमाने अजमेर, उग्रगढ़।
- 7- अध्यक्ष, प्रमोद कुमार गुप्ता, जमाने अजमेर निर्माता समिति, अजमेर, उग्रगढ़।
- 8- अध्यक्ष, उग्रगढ़ निर्माता समिति, 87/15 रितावतार मार्ग, निम्न ताकत, अजमेर।
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रास्थान, अजमेर, अजमेर को इस अनुसंधान के साथ प्रेषित कि वे जमाने उग्रगढ़पुस्त को दि. 15 जून, 2006 के अध्यापन राज्य के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 डाउनलोड में प्रकाशित करने का कष्ट करें और मुद्रित मुद्रितपुस्त की 150 प्रतियाँ अजमेर-3, उग्रगढ़ जमाने को तथा 150 प्रतियाँ अजमेर, उग्रगढ़ पत्र पेंटी संख्या 229, जमाने को तत्काल उपलब्ध करने का कष्ट करें।
- 10- निदेशक, जमाने एवं जमाने विभाग, अजमेर को आवश्यक विधानार्थ एवं जमाने अध्यापन की सुचनाओं प्रसारित तथा जमाने पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 11- कार्य फाइल।

अतः ये

४ लक्ष्मणेंद्र कुमारः
अनु लक्ष्मणः।